

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 8(1)ग्रावि/जीकेएन/ग्रुप-5/2010

जयपुर, दिनांक: 26 जून, 2013

--: कार्यालय आदेश :-

ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 में प्रस्तावित संशोधन हेतु विभागीय सम संख्यक आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2011 द्वारा समिति गठित की गई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि के अनुमोदन अनुसार ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 एवं नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका-2010 के प्रावधानों में विवेचन व आवश्यक संशोधनों के लिये विभाग स्तर पर निम्न अनुसार अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में तकनीकी अनुमोदन समिति गठित की जाती है :-

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पंचायती राज विभाग	—	सदस्य
2. अतिरिक्त निदेशक, ज.ग्र.वि एवं भू-संर. विभाग	—	सदस्य
3. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), ग्रामीण विकास विभाग	—	सदस्य
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग	—	सदस्य
5. निदेशक, सी.सी.डी.यू., पंचायती राज विभाग	—	सदस्य
6. अधिशाषी अभियन्ता (सा.नि.वि., जल संसाधन, पंरावि, ज.ग्र.वि एवं भू-संर. विभाग संवर्ग प्रत्येक के 1-1) जिला परिषद	—	सदस्य
7. उप वन संरक्षक, मुख्यालय, जयपुर	—	सदस्य
8. अधीक्षण अभियन्ता (अभि0/आवास), ग्रावि./पंरावि.	—	सदस्य सचिव

यह समिति जीकेएन- 2010 एवं एनकेएन-2010 के समान प्रावधानों का विवेचन कर विभाग स्तर पर समग्र तकनीकी मार्गदर्शिका जारी करना एवं समय-समय पर वांछित संशोधन आदि कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विकास योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादन तथा विभिन्न योजनाओं में कन्वर्जेन्स के सम्बन्ध में आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी।

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव (ग्रावि)

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, आईजीपीआरएस एवं ग्राविस, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, नरेगा, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि तकनीकी कमेटी हेतु विभाग के प्रतिनिधि को नामित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, ज.ग्र.वि एवं भू-संर. विभाग, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार ग्रावि/पंरावि/ईजीएस, जयपुर।
11. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्तरीय दर निर्णायक समिति, समस्त राजस्थान।
12. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
13. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक, ज.ग्र.वि एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
15. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
16. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
17. निदेशक, सी.सी.डी.यू., पंचायती राज विभाग, जयपुर।
18. अधीक्षण अभियन्ता (अभि0) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
19. अधीक्षण अभियन्ता (आ.), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
20. अधिशाषी अभियन्ता (अभि0/ईजीएस/भू-संर.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति। जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
21. अधिशाषी अभियन्ता (आवास)/परियोजना अधिकारी (अभि0) ग्रावि. मुख्यालय, जयपुर।

26/06/13
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

Handwritten signature